

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-70 / 2011
संस्थित दिनांक-15.02.2011
फाईलिंग नं.-234503001912011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

राजू पिता नैनसिंह उइके उम्र-30 साल, जाति गोंड,
साकिन-ग्राम लोरा, थाना मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-04 / 07 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-14.01.2011 को करीब 4.00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम जोगी झण्डा नाला कटंगी में लोकस्थान पर फरियादी रमेश को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत रमेश को धारदार चाकू से नाक एवं होंठ में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश कुमार ने पुलिस थाना बिरसा में दिनांक-14.01.2011 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मकर संक्रांति के त्यौहार में जोगी झण्डा नाला लगभग 11 बजे राजू उइके व अतर सिंह के साथ पिकनिक मनाने गया था। वहां वह साबुन लेकर नहाने जा रहा था, तभी आरोपी राजू ने उससे साबुन मांगी तो उसने कहा कि वह नहा चुका है, तो फिर साबुन क्यों मांग रहा है। इसी बात को लेकर आरोपी राजू ने उसे माँ-बहन की गालियां देकर उसे चाकू से मारा, जिससे उसे नाक व होंठ पर चोट आई थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-02 / 2011, धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा-324 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी

को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-14.01.2011 को करीब 4.00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम जोगी झण्डा नाला कटंगी में आहत रमेश को धारदार चाकू से नाक एवं होंठ में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रमेश (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2011 की मकर संक्रांति के दिन की है। आरोपी से उसका विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में लेख कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसकी चोटों का परीक्षण कराया था और उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कहा है कि आरोपी ने मारपीट में किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे अश्लील गालियां दी थी और चाकू से मारा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने प्रदर्श पी-2 व प्रदर्श पी-4 में आरोपी द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने अथवा जान से मारने वाली बात लेख कराई थी।

6— अभियोजन साक्षी अतरसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक-14.11.2011 की दोपहर के समय की है। आरोपी और फरियादी रमेश का झगड़ा हुआ था, तब वह सोया था और जब सोकर उठा तो विवाद शांत हो गया था। उसने फरियादी के शरीर पर कहीं भी चोट नहीं देखी थी और उसने घटना घटित होते हुए भी नहीं देखी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

7— सुरेश कुमार विजयवार (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.01.2011 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी रमेश की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी राजू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-2/11, धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. के तहत लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत रमेश को चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। उक्त अपराध की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-30.01.2011 को प्रार्थी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रमेश, साक्षी देवीसिंह, रामदयाल, अतहरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजू से जप्त पत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार एक स्टील का चाकू साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि फरियादी रमेश ने आरोपी द्वारा चाकू से मारने वाली बात उसे लेख नहीं कराई थी और उसने रिपोर्ट अपने मन से लेख की थी।

8— डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.01.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। थाना बिरसा के आरक्षक धनेश द्वारा आहत रमेश को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत की नाक के नीचे दाहिने भाग पर एक इंसाईज्ड चोट पाई थी तथा दाहिने तरफ उपरी होठ पर एक इंसाईज्ड चोट पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोटें किसी धारदार वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी एवं दोनों चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण करने से 2 से 6 घंटे के अंदर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आहत को आई दोनों चोटें गिरने से अथवा रगड़ खाने से आई थी।

9— आरोपी तथा फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की 294 व 506(भाग-2) भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। मात्र धारा-324 भा.द.वि. का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से विचारण किया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी रमेश अ.सा.2 ने कहा है कि आरोपी ने विवाद के समय किसी वस्तु से उसे नहीं मारा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्टतः इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे चाकू से मारा था। चक्षुदर्शी साक्षी अतरसिंह ने कहा है कि

घटना दिनांक को उसके सामने विवाद नहीं हुआ था। जब वह सोकर उठा था, तब उसने देखा कि फरियादी आहत रमेश के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। साक्षी डॉ. मेश्राम (अ.सा.4) ने दिनांक-14.01.2011 को आहत की नाक के नीचे धारदार वस्तु से चोट आना पाया था, परंतु जब फरियादी ने स्वयं यह कहा है कि आरोपी ने उसे किसी धारदार वस्तु से नहीं मारा था। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10- प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12- प्रकरण में जप्तशुदा एक स्टील का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर,
दिनांक-04.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट